न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश। वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3161/2025
महुआ थाना कांड सं0–962/2025

धारा– 69, 75, 78, 3(5) I.P.C.

Web copy not official

27.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदकगण बॉबी कुमार एवं संजीत कुमार उर्फ सन्नी कुमार की ओर से महुआ थाना कांड सं0–962/2025 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद कि प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचिका शर्मिला कुमारी पति टुनटुन पासवान द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष महुआ को इस आशय का दिया गया कि "संजीत कुमार से हमारा अच्छा संबंध था तथा हमारे घर पर आना जाना था, हमारे पति प्रदेश मे रहते थे। इसी का फायदा उठाकर उसने प्रेम जाल मे फसाकर हमारे साथ अवैध रूप से संबंध बनाने लगा तथा अवैध संबंध का विडियो बना लिया, जब हमारे पति को पता चला तो वे समझाये तब मै सन्नी कुमार के साथ संबंध बनाना छोड़ दी उसके बाद सन्नी कुमार का छोटा भाई बॉबी कुमार, सन्नी कुमार के पत्नी के मामा दीपक पासवान हमारे घर पर आकर धमकी दिया कि संबंध नही बनाओगे तो नग्न विडियो वायरल कर देगे जब मै बात नही मानी तो विडियो शोसल मिडिया पर वायरल कर दिया।"

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदकगण द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदकगण का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास नही है। उभय पक्षो के बीच सुलह हो गयी है तथा सूचिका एवं उसका पति आज न्यायालय मे उपस्थित है। आवेदक द्वारा कोई गलत कार्य नही किया गया है तथा वह निर्दोश है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3161/2025
महुआ थाना कांड सं0–962/2025

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि पिड़िता एवं आवेदक अभियुक्त संजीत कुमार उर्फ सन्नी कुमार के मध्य शारीरिक संबंध सहमति से बनाया गया था। आवेदक संजीत कुमार उर्फ सन्नी कुमार के उपर विडियो वायरल करने का आरोप नही है, आवेदक बॉबी कुमार के विरूद्ध केवल विडियो वायरल करने का आरोप है। आज पिड़िता एवं उसके पति भी न्यायालय मे उपस्थित है तथा वे जमानत आवेदन का विरोध नही करना चाहते है। ऐसी स्थिति मे उपरोक्त सभी तथ्यो एवं परिस्थितियो के आलोक मे आवेदकगण को इस शर्त के साथ अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान किया जाता है कि आवेदकगण आरोप निर्माण तक प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेगें। आवेदकगण को निर्देश दिया जाता है दो सप्ताह के भीतर निम्न न्यायालय मे आत्मसमर्पण करे तथा 10,000–10,000 (दस–दस हजार) रूपये के दो–दो जमानतदार का बंधपत्र दाखिल किये जाने पर अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

-Sd-

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Date of Judgment/Order	27-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	27-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar

Web copy not official